प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>प्रथम अपील क्रमांक 170 वर्ष 2003</u>

<u>अपीलार्थी</u>/वादी : देना बैंक

बनाम

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : श्रीमती. चमेली बाई और अन्य

<u>निर्णय हेतु विचारार्थ</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायधीश

<u>माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायधीश</u>

<u>मैं सहमत हूं।</u>

सही /-

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर,

न्यायधीश

<u>निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक 19-04-201 को सूचीबद्ध करें</u> ।

सही /-

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश और

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

प्रथम अपील क्रमांक 170 वर्ष 2003

अपीलार्थी/वादी		**देना बैंक, बैंकिंग कंपनी एवं (उपक्रमों का अर्जन/ और अंतरण) अधिनियम, 1970 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक निजी कंपनी है, जिसका मुख्यालय मेकर टावर्स "ई" सीयूएफ परेड, बम्बई में है और अन्य शाखाओं के साथ-साथ, तहसील बेरला, जिला शाखा कार्यालय, दुर्ग में स्थित है ।**
	बनाम	
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी	**1.**	**श्रीमती. चमेली बाई उम्र 52 वर्ष, पति श्री राम विशाल शर्मा कृषक, निवासी ग्राम बाहेरघाट पो. की निवासी। बीजमठ, तहसील बेरला जिला दुर्ग ।**
	2.	**श्रीमती. सुमीना दीवान,पति श्री संजय दीवान, निवासी ब्राह्मणपारा, कंकाली तालाब के पास, रायपुर, जिला रायपुर ।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	3..	**श्रीमती. मीना शर्मा पति श्री गिरीश कुमार शर्मा निवासी बालको नगर, सेक्शन 5, क्वार्टर नं. 90004, तहसील एवं जिला. कोरबा ।**
	4.	**श्रीमती. नीलू बाई मिश्रा पति श्री गोपेन्द्र कुमार मिश्रा , निवासी एम.ई.16 पदुमनगर, भिलाई 3,तहसील पाटन, जिला दुर्ग ।**

उपस्थित। : श्री बी.पी. शर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से कोई नहीं, यद्यपि तामील हो चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा: धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

1. व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अंतर्गत यह प्रथम अपील व्यवहार वाद क्रमांक 3-बी/02 में पारित दिनांक 23 अप्रैल, 2003 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध है, जिसके तहत विद्वान द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी), बेमेतरा ने वादी/बैंक के वाद को समय-परिसीमा द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया था। (पक्षकारों को इसके बाद उनके विवरण के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष विवरण के अनुसार सन्दर्भित किया जायेगा)

2. वादी/बैंक ने ट्रैक्टर और ट्रॉली खरीदने के लिए प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिए गए 3,11,880/- रुपये के ऋण की वसूली के लिए एक व्यवहार वाद दायर किया, जिसमें अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा मांग,वचन पत्र की प्रतिभू-प्रतिवादी क्रमांक 2, 3 और 4 द्वारा गारंटी पत्र, चल संपत्तियों के आडमान के लिए सावधि ऋण समझौता, खड़ी फसलों के आडमान निष्पादित किए जाने के बाद 8.7.1985 ऋण को प्रदान किया गया था, जैसा कि वादपत्र के पैरा 4 (क) (ख) (ग) और (घ) में विवरण दिया गया है की ऋण को अर्धवार्षिक किश्तों में छह मासिक अंतराल पर 12.50% ब्याज के साथ सात वर्षों में चुकाना था। ब्याज और व्यय के साथ किश्तों का समय पर भुगतान करने में प्रतिवादी क्रमांक 1

की विफलता पर, नोटिस दिए गए थे। हालाँकि, जब प्रतिवादी नोटिस प्राप्त होने के बाद भी किश्तें चुकाने में विफल रहे, तो मध्य प्रदेश लोक धन शोध्य राशियों की वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1993 में तहसीलदार के समक्ष वसूली की कार्यवाही शुरू की गई, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। यह भी अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने एक वचन पत्र निष्पादित किया था जिसमें ऋण खाते के अनुसार एकमुश्त पूरी ऋण राशि चुकाने का वादा किया गया था, जिसमें 14.8.1995, 24.7.1996 और 30.1.1997 की पावती के माध्यम से ऋण का शेष स्वीकार किया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ऋण के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में शिकायत के साथ संलग्न अनुसूची (ख) में वर्णित दस्तावेजों को जमा करके बैंक के पक्ष में अपनी 29.45 एकड़ कृषि भूमि गिरवी रख दी थी। प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 ने अनुसूची (ग) और (घ) में वर्णित अपनी संपत्ति को भी समान रूप से गिरवी रख दिया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ऋण के वितरण के समय ऋण की पावती निष्पादित की थी और वर्ष 1991 और 12 मई, 1994 में ऋण की पावती को नवीनीकृत किया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रतिवादियों ने वादपत्र मे किये गए अभिवचनो का खंडन करते हुए अपने लिखित कथन में कहा कि वादी/बैंक ने तहसीलदार के समक्ष वसूली की कार्यवाही शुरू की थी। प्रतिवादियों ने राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए बिना वसूली की कार्यवाही शुरू करने के विरुद्ध अपनी विधिक आपत्ति प्रस्तुत की थी। जब तहसीलदार ने उनकी आपत्ति को अस्वीकार कर दिया, तो उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, हालाँकि, उच्च न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने के बाद, वादी ने तहसीलदार के साथ मिलीभगत करके कार्यवाही को वापस ले लिया और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान ही यह वाद दायर कर दिया।

4. संबंधित पक्षों की अभिवचनो के आधार पर, विवाद्यक निश्चित किए गए। वाद/ बैंक द्वारा वादी की ओर से तीन गवाहों, विजय गोविंद गोवर्धन शाखा प्रबंधक, सरजूराम यादव चपरासी और सिल्वास्तो टोप्पो, वादी/बैंक के एक अन्य शाखा प्रबंधक, का परीक्छण कराया गया। प्रतिवादियों ने किसी गवाह का परीक्छण नहीं कराया ।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा वाद को खारिज करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि वाद एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है; वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिनांक 22.7.1985 को 1 लाख रुपये नकद ऋण दिया था, जो 12.50% प्रति वर्ष की दर से छह मासिक किश्तों पर ब्याज सहित देय था; प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ऋण को सात वर्षों में छह मासिक किश्तों में चुकाने का

समझौता किया था और छह मासिक किश्तों का भुगतान करने में विफल रहा; प्रतिवादी-मृतक राम विशाल सह-ऋणी था और प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 ऋण की अदायगी के लिए ज़मानतदार थे; प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ऋण के लिए बैंक के पास ट्रैक्टर और ट्रॉली को बंधक रखा था, और वादी बंधक रखी गई संपत्ति की बिक्री के माध्यम से ऋण वसूलने का हकदार है; प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कृषि ऋण के विरुद्ध अपनी खड़ी फसल का समतामूलक बंधक भी बनाया था और बैंक प्रतिवादियों के विरुद्ध छः मासिक किश्तों पर 14% की दर से ब्याज सहित संयुक्त रूप से और पृथक रूप से 3,11,880/- रुपए की डिक्री के लिए हकदार है। यह भी निष्कर्ष दिया है कि वादी/बैंक यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादियों ने बैंक के पक्ष में ऋण की प्रतिभूति के लिए अनुसूची बी, सी और डी में वर्णित अपनी भूमि को समतापूर्वक बंधक रखा था, और वाद को समय-परिपरिसीमा के कारण वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया गया है।

6. अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक क्रमांक 17 पर सकारात्मक निर्णय देते हुए समय-परिसीमा के आधार पर वाद को खारिज कर दिया है। विवाद्यक क्रमांक 17 पर दिया गया निर्णय विधि के अनुरूप नहीं है। ट्रैक्टर ऋण क्रमांक 110/85 के ऋण खाता विवरण के अवलोकन से, जिसे वादी ने शाखा प्रबंधक के माध्यम से प्रस्तुत कर साबित किया है, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने ऋण खाते में ऋण के भुगतान के लिए विभिन्न राशियां जमा की थीं और इस प्रकार, प्रत्येक भुगतान पर, परिसीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में "अधिनियम, 1963") की धारा 18 और 19 के साथ अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्षों के लिए परिसीमा अवधि बढ़ गई। अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 1 में प्रावधान है कि पारस्परिक, खुले और चालू खाते पर देय शेष राशि के खातों से संबंधित वाद में, जहां पक्षों के बीच पारस्परिक मांगें की गई हैं, परिसीमा की अवधि उस वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष है, जिसमें अंतिम स्वीकृत या साबित मद खाते में दर्ज की गई है वर्त्तमान मामले में 19,000/- का अंतिम भुगतान 16.4.1996 को किया गया तथा वाद दिनांक 12.2.1997 को दायर किया गया, अतः वाद दायर करने की समय परिसीमा 16.4.1996 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ गई। आगे यह तर्क दिया गया कि ऋण की राशि स्वामित्व विलेख के जमा द्वारा सुरक्षित है क्योंकि राजस्व अभिलेख बी-1 और खसरा आदि, जिन्हें स्वामित्व अभिलेख के रूप में माना जाता है को प्रतिवादी क्रमांक 1/ऋणी द्वारा जमा किए गए थे और स्वीकार किए गए थे और ऋणी ने बैंक को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था कि ये दस्तावेज एक समतामूलक बंधक बनाने के उद्देश्य से जमा किए जा रहे थे और बंधक वाद के मामले में, परिसीमा की निर्धारित अवधि 12 वर्ष है और विचारण

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय द्वारा इसे बंधक वाद के रूप में नहीं मानना और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 34 के तहत वाद की डिक्री नहीं करना उचित नहीं था।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 22.7.1985 को निष्पादित अनुबंध के अनुसार, ऋण अर्धवार्षिक आधार पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सात वर्षों में चुकाया जाना था और इस प्रकार, वर्ष 1992 तक, ऋणदाता द्वारा कोई भुगतान न किए जाने पर भी वाद को परिपरिसीमा द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता था और इसलिए, विवाद्यक क्रमांक 17 के विरुद्ध दिए गए निर्णय में दिए गए कारण कि ऋण लेने की तिथि से तीन वर्ष के बाद वाद दायर किया गया है और इस प्रकार, परिपरिसीमा द्वारा वर्जित है, गलत हैं और विधि में टिकने योग्य नहीं हैं। अंत में, यह तर्क दिया गया कि चूँकि वादी ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए कृषि ऋण लिया था, इसलिए बैंक ने तहसीलदार के समक्ष म.प्र. लोक धन शोध्य राशियों की वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की। प्रतिवादियों ने रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय में उपरोक्त वसूली कार्यवाही को चुनौती दी और प्रतिवादियों के पक्ष में तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया गया। इन परिस्थितियों में, वादी ने तहसीलदार के न्यायालय से वसूली कार्यवाही वापस ले ली और उसके तुरंत बाद यह वाद दायर किया गया। इस प्रकार, वादी/बैंक म.प्र. लोक धन शोध्य राशियों की वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली कार्यवाही सद्भावपूर्वक कर रहा था और इस प्रकार, तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही में लगा समय अधिनियम की धारा 14 के अनुसार अपवर्जित होने योग्य था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **केशरीचंद जयसुखलाल बनाम शिलांग बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड,** शिलांग मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है।

9. नोटिस तामील होने के बावजूद प्रतिवादियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ।

10. हमारे विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक क्रमांक 17 के विरुद्ध निर्णय देते समय वाद को समय परिसीमा द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज करना न्यायोचित था?

11. हमने अपीलार्थी/वादी के अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया है, जिसमें विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय भी शामिल है।

12. वादपत्र में प्रस्तुत अभिवचनो और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलिखित साक्ष्यों से, हम पाते हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद के लिए प्रदर्श पी/1 के तहत 1 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। उसने प्रदर्श पी/2 के तहत अपनी 29.45 एकड़ कृषि भूमि के संबंध में सर्च रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। भूमि के राजस्व अभिलेख (बी-1 और मानचित्र की प्रति) अर्थात प्रदर्श पी/4, पी/5 और पी/6 भी ऋणी द्वारा ऋण के लिए अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए थे। उसके पति ने प्रदर्श पी/7 के तहत अपनी सहमति प्रस्तुत की थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने 22.7.1985 को प्रदर्श पी/10 के तहत अपनी कृषि भूमि पर खड़ी फसलों का बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 ने मूल ऋणी को दिए गए ऋण की सुरक्षा करने के लिए प्रदर्श पी/12 के तहत गारंटी विलेख निष्पादित किया था।

बंधक सावधि ऋण अनुबंध (प्रदर्श पी/11) के खंड 5 के अनुसार, प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिया गया 1 लाख रुपये का ऋण सात वर्षों के भीतर 7150 रुपये प्रति छमाही किश्तों में 12.50% प्रति वर्ष ब्याज या बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर या दरों पर चुकाया जाना था। प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 द्वारा सावधि ऋण अनुबंध निष्पादित किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने 14.5.1991 को 1,45,234/- रुपये, अर्धवार्षिक आधार पर 14% प्रति वर्ष की दर से देय ब्याज के साथ भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की थी । वादी/बैंक ने प्रदर्श पी/16 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 के ट्रैक्टर ऋण खाता क्रमांक 110/85 के 22.7.1985 से 17.12.1996 तक के विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि भी दाखिल की है और उसे प्रमाणित किया है, प्रदर्श पी/16 के अनुसार। प्रदर्श पी/16 के दस्तावेज़ की गहन प्रशिक्षण से पता चलता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ऋण की अदायगी के लिए निम्नलिखित राशियाँ जमा की थीं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रम क्रमांक	दिनांक	जमा (रुपये में)
01.	10.7.1986	8,716
02.	22.9.1986	10,000
03.	7.8.1987	6,000
04.	12.4.1990	19,000
05.	30.3.1991	10,000
06.	8.5.1992	500
07.	5.6.1993	5,000

08.	20.1.1994	15,000
09.	31.3.1994	4000
10.	7.1.1996	1,235
11.	4.4.1996	4,000
12.	16.4.1996	19,000

13. पारस्परिक, खुले और चालू खाते पर देय शेष के लिए खातों से संबंधित वादों के लिए परिसीमा की अवधि, जहां पक्षकारो के बीच पारस्परिक मांगें की गई हैं, तीन वर्ष है और जिस समय से अवधि चलना शुरू होती है, उसकी गणना उस वर्ष के अंत से की जाएगी, जिसमें अंतिम स्वीकृत या सिद्ध मद खाते में दर्ज की जाती है; अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 1 के अनुसार, ऐसे वर्ष की गणना खाते में दी गई राशि के अनुसार की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अधिनियम, 1963 की धारा 19 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"19. ऋण या विरासत पर ब्याज के कारण भुगतान का प्रभाव। जहाँ ऋण या विरासत पर ब्याज के कारण भुगतान, ऋण या विरासत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया जाता है, वहाँ भुगतान किए जाने के समय से एक नई परिपरिसीमा अवधि की गणना की जाएगी:

परन्तु, 1 जनवरी, 1928 से पहले किए गए ब्याज के भुगतान के मामले को छोड़कर, भुगतान की पावती भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्तलेख में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लेख में हो।

15. वर्त्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी क्रमांक 1/ऋणी द्वारा जमा राशियाँ प्रदर्श पी./16 के दस्तावेज़ में दर्शाई गई थीं और वादी साक्षी-3 द्वारा सिद्ध की गई थीं, तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया था। प्रदर्श पी./16 के दस्तावेज़ में प्रविष्टियाँ शाखा प्रबंधक द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं और इस आशय का एक पृष्ठांकन खाता विवरण के नीचे मौजूद है।

"प्रमाणित प्रति" की परिभाषा बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (संक्षेप में "अधिनियम, 1891") के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई है, जो इस प्रकार है:

2(8) "प्रमाणित प्रतिलिपि" का अर्थ है बैंक की पुस्तकों में किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, जिसके साथ ऐसी प्रतिलिपि के नीचे एक प्रमाणपत्र लिखा हो कि वह ऐसी प्रविष्टि की सत्य प्रतिलिपि है, कि ऐसी प्रविष्टि बैंक की साधारण पुस्तकों में से एक में है और सामान्य तथा कारोबार के क्रम में बनाई गई है, और ऐसी पुस्तक अभी भी बैंक की अभिरक्षा में है और जहां प्रतिलिपि किसी यांत्रिक या अन्य प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की गई थी, जो स्वयं प्रतिलिपि की शुद्धता सुनिश्चित करती थी, वहां इस आशय का एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र, किन्तु जहां वह पुस्तक, जिससे ऐसी प्रतिलिपि तैयार की गई थी, बैंक के कारोबार के सामान्य क्रम में प्रतिलिपि तैयार किए जाने की तारीख के पश्चात नष्ट कर दी गई हो, वहां इस आशय का एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र, प्रत्येक ऐसे प्रमाणपत्र पर बैंक के प्रधान लेखाकार या प्रबंधक द्वारा अपने नाम और आधिकारिक पदनाम के साथ दिनांक और हस्ताक्षर किए जाएंगे।"

अधिनियम, 1891 की धारा 4 इस प्रकार है:

"4. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बैंकर बही में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति सभी विधिक कार्यवाहियों में ऐसी प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाएगी, और उसमें दर्ज मामलों, लेन-देनों और खातों के साक्ष्य के रूप में प्रत्येक मामले में स्वीकार की जाएगी, जहाँ और उसी परिसीमा तक, जहाँ तक मूल प्रविष्टि स्वयं अब विधि द्वारा स्वीकार्य है, परन्तु आगे या अन्यथा नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने केशरीचंद जयसुखलाल के मामले में भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 85 पर विचार करते हुए, जिसमें यह प्रावधान है कि पारस्परिक, खुले और चालू खाते पर देय शेष के लिए परिसीमा अवधि, जहां पक्षकारो के बीच पारस्परिक मांगें रही हैं, उस वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष है, जिसमें अंतिम स्वीकृत या सिद्ध मद खाते में दर्ज की जाती है; ऐसे वर्ष की गणना खाते में दर्ज के रूप में की जाएगी, हीरादा बसप्पा बनाम जी. मुदप्पा, (70-71) 6 मद्रास एच.सी. 142 के प्रमुख मामले का उल्लेख किया है, जिसमें यह अभिनिस्कर्षित किया गया था कि "पारस्परिक होने के लिए प्रत्येक पक्ष पर ऐसे लेनदेन होने चाहिए जो दूसरे पर स्वतंत्र दायित्व पैदा करें और न केवल ऐसे लेनदेन जो एक तरफ दायित्व पैदा करते हैं, दूसरे पर ऐसे दायित्वों का केवल पूर्ण या आंशिक निर्वहन हैं", अनुमोदन के साथ।

17. वर्तमान मामले में भी, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पक्षकारो के बीच खाता हमेशा खुला और चालू था। प्रदर्श पी/16 के खाता विवरण में दर्शाए गए लेन-देन से यह स्पष्ट है कि संबंधित अवधि के दौरान

यह पारस्परिक था। अधिनियम, 1891 की धारा 4 के अनुसार, वादी/बैंक ने बैंक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित खाता विवरण प्रस्तुत किया है और इसे ऐसी प्रविष्टियों के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है, और इसे यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य माना जा सकता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 7.8.1987 को 6,000/- रुपये जमा किए और उसके बाद, तीन वर्षों के भीतर अर्थात दिनांक 12.4.1990 को उसने ऋण चुकाने के लिए फिर से 19,000/- रुपये जमा किए; दिनांक 30.3.1991 को 10,000/- रुपये; 5.6.1993 को 5,000/- रुपये; दिनांक 20.1.1994 को 15,000/- रुपए, दिनांक 31.3.1994 को 4,000/- रुपए, तथा अंततः दिनांक 16.4.1996 को 19,000/- रुपए। इस प्रकार, अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 1 के साथ पठित धारा 19 के आधार पर, तीन वर्ष की नई विस्तारित परिसीमा अवधि की गणना उस वर्ष की समाप्ति से की जानी है जिसमें खाते में अंतिम मद को स्वीकार किया गया था या दर्ज किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. माननीय अपर जिला न्यायाधीश ने, परिपरिसीमा अवधि से संबंधित विवाद्यक क्रमांक 17 पर विचार करते समय, प्रदर्श पी/16 के दस्तावेज के प्रभाव पर विचार नहीं किया है, जिसका प्रतिवादियों द्वारा, न तो वादी के गवाह से प्रतिपरीक्षण करके, जिसने उक्त दस्तावेज को सिद्ध किया है, या न ही अपने इस तर्क के समर्थन में किसी गवाह से परीक्षण करके कि वाद परिपरिसीमा अवधि द्वारा वर्जित है, खंडन नहीं किया है।

19. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, माननीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा विवाद्यक क्रमांक 17 के विरुद्ध दर्ज किए गए निष्कर्ष को खारिज करने और परिणामस्वरूप, वाद को परिपरिसीमा अवधि द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है

चूंकि उच्च न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश ने अन्य अभिवचनो पर पहले ही निर्णय दे दिया है और यह अभिनिस्कर्षित किया है कि वादी वाद की तारीख से छह मासिक अवधि पर 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 3,11,880/- रुपये की डिक्री का हकदार है, और प्रतिवादियों ने उपरोक्त निष्कर्षों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की है, इसलिए उक्त निष्कर्ष अंतिम हो गए हैं और इसलिए हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वादी द्वारा उठाए गए अन्य विधि विधेयक पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

20. परिणामस्वरूप, उपरोक्त कारणों से, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक क्रमांक 17 के विरुद्ध दर्ज किया गया निर्णय, जिसमें वाद को समय-परिसीमा द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया गया था, अपास्त किया जाता है और निष्कर्ष दिया जाता है कि वाद समय-परिसीमा के भीतर था। तदनुसार, वादी/बैंक के वाद को संपूर्ण व्यय सहित डिक्री किया जाता है और यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी/बैंक 3,11,880/- रुपये की राशि 14% प्रति वर्ष की दर से छह मासिक किश्तों पर ब्याज सहित वसूल करने का हकदार है और प्रतिवादी संयुक्त रूप से और पृथक रूप से वादी/बैंक को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही /-

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायधीश

सही /-

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर,

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Adv. Vaibhav Singh Rathore